

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”

पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012.”



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 27 दिसम्बर 2011—पौष 6, शक 1933

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2011

अधिसूचना

क्रमांक एफ-6-292/सात-3/2011.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम क्रमांक (2) में उल्लिखित राजस्व जिले से, कालम क्रमांक (3) में उल्लिखित सम्भाग के अंतर्गत, कालम क्रमांक (5) में विनिर्दिष्ट तहसीलों को समाविष्ट करते हुये, कालम क्रमांक (4) में उल्लिखित नवीन राजस्व जिलों को दिनांक 1 जनवरी, 2012 के प्रभाव से सृजित करती है, अर्थात् :—

अनुसूची

क्र. (1)	जिला (2)	संभाग (3)	नवीन जिला (4)	नवीन जिले में सम्मिलित तहसील (5)
1.	दंतेवाड़ा	बस्तर	सुकमा	दंतेवाड़ा जिले की 1. छिंदगढ़, 2. सुकमा, 3. कोन्टा
2.	बस्तर	—, —	कोण्डागांव	बस्तर जिले की 1. केशकाल, 2. बड़ेराजपुर, 3. माकड़ी, 4. कोण्डागांव, 5. फरसगांव.
3.	रायपुर	रायपुर	बलौदाबाजार	रायपुर जिले की 1. बिलाईगढ़, 2. कसडोल, 3. बलौदाबाजार, 4. पलारी, 5. भाटापारा, 6. सिमगा.
4.	रायपुर	—, —	गरियाबंद	रायपुर जिले की 1. फिंगेश्वर, 2. छुरा, 3. गरियाबंद, 4. मैनपुर, 5. देवभोग.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
5.	दुर्ग	रायपुर	बेमेतरा	दुर्ग जिले की 1. नवागढ़, 2. बेमेतरा, 3. बेरला, 4. साजा, 5. थानखम्हरिया.
6.	दुर्ग	—,,—	बालोद	दुर्ग जिले की 1. डौण्डी, 2. डौण्डीलोहारा, 3. गुरूर, 4. बालोद, 5. गुण्डरदेही.
7.	बिलासपुर	बिलासपुर	मुंगेली	बिलासपुर जिले की 1. मुंगेली, 2. पथरिया, 3. लोरमी
8.	सरगुजा	सरगुजा	सूरजपुर	सरगुजा जिले की 1. सूरजपुर, 2. भैयाथान, 3. ओड़गी, 4. रामानुजनगर, 5. प्रेमनगर, 6. प्रतापपुर.
9.	सरगुजा	—,,—	बलरामपुर	सरगुजा जिले की 1. बलरामपुर, 2. रामचन्द्रपुर (रामानुजगंज), 3. चाडफनगर, 4. राजपुर, 5. कुसमी, 6. शंकरगढ़.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय अलंग, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 27th December 2011

NOTIFICATION

No. F-6-292/Seven-3/2011.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) the State Government hereby, creates the new Revenue Districts mentioned in column number (4) comprising the tehsil specified in the column No. (5), within the Division mentioned in column No. (3), from the Revenue District mentioned in column No. (2) of the Schedule below with effect from 1st January, 2012, namely :—

SCHEDULE

S. No. (1)	District (2)	Division (3)	New District (4)	Tehsil included in the new District (5)
1.	Dantewada	Bastar	Sukma	1. Chhindgarh, 2. Sukma, 3. Konta of District Dantewada.
2.	Bastar	—,,—	Kondagaon	1. Keshkal, 2. Baderajpur, 3. Makdi, 4. Kondagaon, 5. Pharasgaon of District Bastar.
3.	Raipur	Raipur	Balodabazar	1. Bilaigarh, 2. Kasdol, 3. Balodabazar, 4. Palari, 5. Bhatapara, 6. Simga of District Raipur.
4.	Raipur	—,,—	Gariyaband	1. Fingeshwar, 2. Chhura, 3. Gariyaband, 4. Mainpur, 5. Devbhog of District Raipur.
5.	Durg	—,,—	Bemetara	1. Nawagarh, 2. Bemetara, 3. Berla, 4. Saja, 5. Thankhamariya of District Durg.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6.	Durg	—,,—	Balod	1. Daundi, 2. Daundilohara, 3. Gurur, 4. Balod, 5. Gundardehi of District Durg.
7.	Bilaspur	Bilaspur	Mungeli	1. Mungeli, 2. Pathariya, 3. Lormi of District Bilaspur.
8.	Surguja	Surguja	Surajpur	1. Surājpur, 2. Bhaiyathan, 3. Odgi, 4. Ramanujnagar, 5. Premnagar, 6. Pratappur of District Surguja.
9.	Surguja	—,,—	Balrampur	1. Balrampur, 2. Ramchandrapur (Ramanujganj), 3. Wadrafnagar, 4. Rajpur, 5. Kusmi 6. Shankar-garh of District Surguja.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
SANJAY ALANG, Joint Secretary.

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के समतुल्य (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 वि.से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक
“छत्तीसगढ़/हु”/09/2010-2012.”

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52.]

रायपुर, बुधवार, दिनांक 28 मार्च 2012—चैत्र 8, शक 1934

राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग
संचालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 28 मार्च 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 6-292/7-3/2011.—छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 6-292/सात-3/2011, दिनांक 27 दिसम्बर, 2011 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,—

1. अनुसूची के सरल क्रमांक 3 के कॉलम क्रमांक (4) के शीर्षक “नवीन जिला” से संबंधित प्रविष्टियों में, शब्द “बलौदाबाजार” के पश्चात् “-भाटापारा” जोड़ा जाये.
2. अनुसूची के सरल क्रमांक 9 के कॉलम क्रमांक (4) के शीर्षक “नवीन जिला” से संबंधित प्रविष्टियों में, शब्द “नलारामपुर” के पश्चात् “-रामानुजगंज” जोड़ा जाये.

Raipur, the 28th March 2012

NOTIFICATION

No. F-6-292/7-3/2011.—In exercise of the powers conferred by Section 13 of the Chhattisgarh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959), the State Government, hereby, makes the following amendment in the departments' Notification No. F-6-292/Seven-2/2011, dated 27th December, 2011, namely :—

AMENDMENT

In the Schedule of the said notification,—

1. In the entries relating to column number (4) of serial No. 3 of the Schedule, bearing heading "New District", after the word "Balodabazar" the word "Bhatapara" shall be added.
2. In the entries relating to column number (4) of serial No. 9 of the Schedule, bearing heading "New District", after the word "Balrampur" the word "Ramanujganj" shall be added.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. गिहलाणी, उप-सचिव.